सख्या:98/ 2017 /2914जे0/22-5-17-162एचआरसी/2012

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 *लखनऊ: दिनांक 23 नबम्बर, 2017*

विषय-जिला कारागार, मऊ के सिद्धदोष बंदी अनिल कुमार राय पुत्र मथुरा राय की दिनांक 05/06-06-2012 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के केस संख्या-18780/24/53/2012-जेसीडी, दिनांक 04-07-2017 के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारी को रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की अंतरिम राहत के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर महानिरीक्षक (प्र0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-38394/मा0अनु0(1)/156-2012, दिनांक 25-10-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, मऊ के सिद्धदोष बंदी अनिल कुमार राय पुत्र मथुरा राय की दिनांक 05/06-06-2012 को हुयी मृत्यु के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस संख्या-18780/24/53/2012-जेसीडी, दिनांक 04-07-2017 में की गयी संस्तुति के अनुपालन में बंदी के आश्रित/निकटस्थ उत्तराधिकारी को अन्तरिम राहत के रूप में रू0 1,00,000/-(रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष-2017-2018 में इस शर्त के अधीन प्रदान करते है कि मुआवजे के समतुल्य धनराशि दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूल कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-2018 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्ष-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस में पारित आदेश दिनांक 04-07-2017 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

2/--

4- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5- महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट, मऊ के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

<u>संख्या:98/2017/ 2914(1)/22-5-17-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक निबन्धक (लॉ), मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी-ब्लाक, जी0पीओ0 कम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली -110023

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

3- जिला मजिस्ट्रेट, मऊ/अधीक्षक, जिला कारागार, मऊ को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान बंदी के आश्रित/निकटस्थ रक्त सम्बन्धी को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- कोषाधिकारी, मऊ ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1 को दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूली किये जाने हेतु प्रेषित।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

7- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ।

8- अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

i"kd]

MkO fxjh'k pUn [kj]
vu lfpo]
mRrj in'k 'kklu A

lok e]

lgk;d jftLVkj ¼yk½
jk"Vh; ekuo vf/kdkj vk;kx]
ekuo vf/kdkj Hkou] Cykd&lh]
thOihOvkO dkEIyDl] vkb0,u0,0]
ub fnYyh&110023

dkjkxkj i'kklu ,o l/kkj vuHkkx&5 *y[kuÅ ¼ fnukd ¼ vxLr] 2017*

fo"k;%&ftyk dkjkxkj] ihyhHkhr d fopkjk/khu cnh jktho mQ fVUd i= N=iky mQ QLlk dh fnukd 05-05-2015 dk gb eR; idj.k e erd cnh d vkfJr@fudVLFk mRrjkf/kdkjh dk :0 3]00]000@& ¼:0 rhu yk[k ek=½ dk evkotk Hkxrku fd; tku d lEcU/k eA

egkn;]

mi;Dr fo"k;d viu i=@dl l[;k&16511@24@60@2015&tlhMh] fnukd 03-01-2017 dk di;k lUnHk xg.k dju dk d"V dj] ftld }kjk erd cnh d vkfJr@fudVLFk mRrjkf/kdkjh dk :0 3]00]000@& ¼:0 rhu yk[k :i; ek=½ d evkot dk Hkxrku dj if"Vdr lpuk miyC/k djku dk fun'k fn;k x;k gA

2& bl lEcU/k e v/kh{kd] ftyk dkjkxkj] ihyhHkhr d i= l[;k&836@fopkjk/khu erd cnh jktho@17] fnukd 18-06-2017 ,o i= l0&819@y[kk&erd cnh jktho@2017&18 fnukd 16-06-2017 dh Nk;kifr lyXu dj if"kr djr g, e> ;g dgu dk fun'k gvk g fd erd cnh d vU; vkfJrk l iklr vukifRr@'kiFk i= d vk/kkj ij Jh idk'k i= Jh N=iky mQ QLlk dk :0&3]00]000@&¼:0 rhu yk[k :i; ek=½ dk Hkxrku mud cpr [kkrk e ,u0b0,Q0Vh0 d ek/;e l fnukd 17-06-2017 dk dj fn;k gA

3& di;k evkotk Hkxrku dh mDr if"Vdr lpuk l ek0 vk;kx dk voxr djkr g, ek0 vk;kx }kjk fy, x; fu.k; l jkT; ljdkj dk voxr djku dk d"V djA

lyXud% ;FkkDrA Hkonh;]

¼ MkO fxjh'k pUn [kj ½
vu lfpoA

l[;k&1091t0@22&5&17&rnfnukdA

ifrfyfi fuEufyf[kr dk lpukFk ,o vko';d dk;okgh gr if"kr%&

1& egkfujh{kd] dkjkxkj i'kklu ,o l/kkj lok,] mRrj in'k] y[kuÅA
2& v/kh{kd] ftyk dkjkxkj] ihyhHkhrA
3& xg ¼ekuokf/kdkj½ vuHkkx&1A vkKk l]

¼ MkO fxjh'k pUn [kj ½
vu lfpoA

fo0i= dkjkxkj e[;ky; dk i= fnukd 17-05-2017
dekd&15
fo0i= v/kh{kd] ftyk dkjkxkj] ihyhHkhr d nk i= fnukd 16-06-2017 ,o fnukd 18-06-2017
dekd&16]17

vu lfpo

di;k fo0i=k dk lyXud lfgr voykdu dju dk d"V djA

2& fo0i= d0l0&15 lpukFk g di;k i=kofyr djkuk pkgA

3& fo0i= d0l0&16 ,o 17 d ek/;e l v/kh{kd ftyk dkjkxkj ihyhHkhr }kjk ftyk dkjkxkj ihyhHkhr d er fopkjk/khu cnh jktho mQ fVUd i= N=iky mQ QLl d vkfJrk dk ek0 vk;kx }kjk lLrr evkotk /kujkf'k :0&3]00]000@&¼:0 rhu yk[k ek=½ d Hkxrku dh if"Vdr lpuk lyXu dj miyC/k djk;h x;h gA iklr lpukulkj erd cnh d vU; vkfJrk l iklr vukifRr@'kiFk i= d vk/kkj ij Jh idk'k i= Jh N=iky mQ QLl dk :0&3]00]000@&¼:0 rhu yk[k :i; ek=½ dk Hkxrku mud cpr [kkrk e ,u0b0,Q0Vh0 d ek/;e l fnukd 17-06-2017 dk dj fn;k gA

4& bl lEc/k e mfpr irhr gkrk g fd evkotk Hkxrku dh if"Vdr lpuk ek0 vk;kx dk Hkt nh tk;A lgefr dh n'kk e vky[k iLrr gA di;k vuekfnr djuk pkgA